देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

अंक –2019/rtiexpose/06

E-Newsletter, Issued in Public Interest

शुक्रवार, 2 अगस्त 2019

सुचना का अधिकार अधिनियम संशोधन विधेयक,2019

सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 देश का पहला ऐसा कानून है जो अपने लागू होने के समय से ही विवादों में रहा है,और हर समय इस पर संशोधनों की तलवार लटकती रही है|

इस समय इस कानून में जिन संशोधनों पर देश भर में चर्चाये चल रही है,धरने-प्रदर्शन हो रहे है,उनसे लग रहा है कि मानो केंद्र सरकार जानबूझ कर, सुचना का अधिकार को खत्म करने की कोशिश कर रही है|सबसे पहले जानते है कि सरकार ने इस एक्ट में क्या संशोधन किये है,जिससे पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है|

अधिनियम में किये गए संशोधन

क्रमांक	धारा(संशोधन के पूर्व)	धारा(संशोधन के बाद)
1.	13 (1) ; सुचना आयुक्त,उस तारीख से,जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है,पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु यह कि कोई मुख्य सुचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्च्यात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा|	(क) उपधारा (1) में, " उस तारीख से,जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए" शब्द के स्थान पर " ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द रखे जायेंगे;
2.	13 (2) प्रत्येक सुचना आयुक्त,उस तारीख से,जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है,पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक,इनमे से जो भी पूर्वतर हो,पद धारण करेगा और ऐसे सुचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा; परन्तु प्रत्येक सुचना आयुक्त,इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सुचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा; परन्तु यह और कि जहाँ सुचना आयुक्त को मुख्य सुचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सुचना आयुक्त और मुख्य सुचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी|	(ख) उपधारा(2) में, " उस तारीख से,जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए" शब्द के स्थान पर " ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द रखे जायेंगे;

क्रमांक	धारा(संशोधन के पूर्व)	धारा(संशोधन के बाद)
3.	13 (5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते:- (क) मुख्य सुचना आयुक्त की वही होगी,जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है; (ख) सुचना आयुक्त की वहीँ होगी जो निर्वाचन आयुक्त की है: परन्तु यदि मुख्य सुचना आयुक्त या कोई सुचना आयुक्त,अपनी नियुक्ति के समय,भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई पेंशन,अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा हैतो मुख्य सुचना आयुक्त या सुचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से,उस पेंशन की ,जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग,जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिव्रती उपदान के समतुल्य पेंशन को छोडकर,सेवा निव्रती फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है,रकम को कम कर दिया जाएगा; परन्तु यह भी कि मुख्य सुचना आयुक्त या सुचना आयुक्त के वेतन,भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्च्यात उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा|	(ग) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी; मुख्य सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते वे होगी,जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए: परन्तु मुख्य सुचना आयुक्त या सुचना आयुक्तों के वेतन ,भत्तों और सेवा शर्तों में,उनकी नियुक्ति के पश्च्यात,उनके लिए अफायदाप्रद रूप से कोई परिवर्तन नही किया जायेगा: परन्तु सुचना का अधिकार(संशोधन) अधिनियम,के प्रारम्भ से पूर्व नियुक्त मुख्य सुचना आयुक्त या सुचना आयुक्तों का इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना जारी रहेगा मानो सुचना का अधिकार(संशोधन) अधिनियम लागू ही नहीं हुआ हो था|
4.	16 (1) ; राज्य मुख्य सुचना आयुक्त,उस तारीख से,जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है,पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु यह कि कोई राज्य मुख्य सुचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्च्यात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा|	(क) उपधारा (1) में, " उस तारीख से,जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए" शब्द के स्थान पर " ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द रखे जायेंगे;
5.	16 (2) प्रत्येक राज्य सुचना आयुक्त,उस तारीख से,जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है,पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक,इनमे से जो भी पूर्वतर हो,पद धारण करेगा और ऐसे सुचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा; परन्तु प्रत्येक राज्य सुचना आयुक्त,इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सुचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा; परन्तु यह और कि जहाँ सुचना आयुक्त को मुख्य सुचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सुचना आयुक्त और मुख्य सुचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी|	(ख) उपधारा(2) में, " उस तारीख से,जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए" शब्द के स्थान पर " ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द रखे जायेंगे;

क्रमांक	धारा(संशोधन के पूर्व)	धारा(संशोधन के बाद)
6.	16 (5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते:- (क) राज्य मुख्य सुचना आयुक्त की वही होगी,जो किसी निर्वाचन आयुक्त की है; (ख) राज्य सुचना आयुक्त की वहीँ होगी जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की है: परन्तु यदि राज्य मुख्य सुचना आयुक्त या कोई सुचना आयुक्त,अपनी नियुक्ति के समय,भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई पेंशन,अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा हैतो राज्य मुख्य सुचना आयुक्त या राज्य सुचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से,उस पेंशन की ,जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग,जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिव्रती उपदान के समतुल्य पेंशन को छोडकर,सेवा निव्रती फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है,रकम को कम कर दिया जाएगा; परन्तु यह भी कि राज्य मुख्य सुचना आयुक्त या राज्य सुचना आयुक्त के वेतन,भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्च्यात उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन	(ग) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी; राज्य मुख्य सुचना आयुक्त और राज्य सुचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते वे होगी,जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए: परन्तु राज्य मुख्य सुचना आयुक्त या सुचना आयुक्तों के वेतन ,भत्तों और सेवा क इंय शर्तों में,उनकी नियुक्ति के पश्च्यात,उनके लिए अफायदाप्रद रूप से कोई परिवर्तन नही किया जायेगा: परन्तु या और कि सुचना का अधिकार(संशोधन) अधिनियम,के प्रारम्भ से पूर्व नियुक्त राज्य मुख्य सुचना आयुक्त या राज्य सुचना आयुक्तों का इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना जारी रहेगा मानो सुचना का अधिकार(संशोधन) अधिनियम लागू ही नहीं हुआ हो था|
7.	**धारा 27 का संशोधन:** मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा में खंड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खंड अतःस्थापित किया जाएगा अथार्त:- (गक) धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन मुख्य सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्त तथा धारा 16 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन राज्य मुख्य सुचना आयुक्त और राज्य सुचना आयुक्तों की पदावधि; (गख) धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन मुख्य सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्तों तथा धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सुचना आयुक्तों का वेतन,भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;|	

अधिनियम में संशोधनों की वस्तुस्थिति

1. सुचना आयोग एक कानूनी निकाय|

जैसा कि उपरोक्त अध्यन से पता चलता है उपरोक्त संशोधनों के जरिये सरकार ने मुख्यतः केन्द्रीय और राज्य सुचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तों में परिवर्तन किया है|जिसमे सरकार की मंशा सुचना आयोगों के बढ़ते कद को कम करने की प्रतीत होती है|इन संशोधनों में सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुचना आयोग एक कानूनी निकाय है,जिसे चुनाव आयोग जैसे संवेधानिक निकाय के बराबर दर्जा नहीं दिया जा सकता|

2. पूर्व की भांति मुख्य सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्तों का कार्यकाल 65 वर्ष से अधिक नहीं|

इन संशोधनों में स्पष्ट किया है कि पूर्व की भांति केन्द्रीय और राज्यों के मुख्य सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्तों का कार्यकाल 65 वर्ष से अधिक नहीं होगा|

3. मुख्य सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्तों की पुनर्नियुक्ति नहीं होगी|

इन संशोधनों में स्पष्ट किया है कि पूर्व की भांति केन्द्रीय और राज्यों के मुख्य सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्तों की पुनर्नियुक्ति नहीं होगी|

4. राज्यों के मुख्य सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्तों वेतनमान समान होंगे|

अभी तक सभी राज्यों के सुचना आयुक्तों के वेतनमान,भत्ते,और सेवायें असमान थे,परन्तु इस संशोधन से सभी राज्यों के मुख्य सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्तों वेतनमान समान होंगे|और राज्यों द्वारा ही देय होंगे|

5. मुख्य सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल?

जैसा कि स्पष्ट है इस बिल के जरिये मुख्य सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई फेरबदल नहीं किया गया है,अतः पूर्व की तरह केन्द्रीय मुख्य सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री,विपक्ष के नेता और मंत्रिमंडल के एक मंत्री की समिति ही करेगी वहीँ राज्यों में राज्य सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्तों की नियुक्ति मुख्यमंत्री,विपक्ष के नेता और मंत्रिमंडल के एक मंत्री की समिति ही करेगी,**इस प्रक्रिया में केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा|**

6. मुख्य सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्तों को जब चाहे हटाने पर सवाल?

इस बिल में केन्द्रीय और राज्यों के मुख्य सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्तों को हटाने पर भी कोई फेरबदल नहीं किया गया है|पूर्व की भांति यह प्रक्रिया भी मुख्य सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्तों के दिवालिया होने,किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि होने,कर्तव्यों के परे जाने,मानसिक या शारीरिक असक्षम होने की स्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय द्वारा ही हटाये जाने के प्रावधान यथावत रहेंगे|**इस प्रक्रिया में केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा|**

7. आम आदमी के सुचना अधिकारों पर सवाल?

जहाँ तक आम आदमी के सुचना अधिकारों के हनन का सवाल है,इस संशोधन में मुख्यतः केन्द्रीय और राज्य सुचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तों के अलावा अन्य किसी भी उपबंध में संशोधन नहीं किया गया है **अतः इन संशोधनों से आम आदमी द्वारा सुचना मांगने,लोक सुचना अधिकारियों के सुचना देने और मुख्य सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्तों द्वारा सुचना आवेदकों की द्वितीय अपीलों.परिवादों के निस्तारण और निर्णय प्रक्रिया में इन संशोधनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा|**